लोक सभा

तारांकित प्रश्ने संख्यास*198

3 अगस्त्, 2015 को उत्तिर के लिए

इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा

*198. श्री प्रहलाद सिंह पटेल:
श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में आयात किए गए इस्पात और आयात की मात्रा के रुझान का देश-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान घरेलू इस्पात उत्पादन में गिरावट का रुझान दिखायी दिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या चीन सहित विभिन्न देशों से सस्ते इस्पात के आयात ने घरेलू इस्पात उद्योग को बुरी तरह से प्रभावित किया है;
(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस्पात के आयात पर आयात शुल्क में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है;
और
(ङ) सरकार द्वारा इस्पात उद्योग का संरक्षण करने/को बढ़ावा देने और स्वदेशी इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्त)र

इस्पातत और खान मंत्री (श्री नरेन्द्रा सिंह तोमर)

(क) से (ड़): एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा" के बारे में श्री प्रहलाद सिंह पटेल और श्री ई. टी. मोहम्म्द बशीर , संसद सदस्यों द्वारा लोक सभा में दिनांक 3 अगस्ति, 2015 के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *198 के उत्तेर में उल्लिखित विवरण

(क) : ब्यौरेअनुलग्नकमें दिए गए हैं।

(ख) : जी, नहीं।

(ग) से (ड़) : कुछ घरेलू इस्पा्त निर्माता और अन्य हितधारकों ने इस्पातके आयात में वृद्धि के विरूद्ध अभ्यानवेदन दिए हैं। सरकार द्वारा इसकी जांच की गई है और निम्निलिखित कदम उठाए गए हैं

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए केवल गुणवत्तायपरक इस्पाउत का ही आयात हो, सरकार ने दिनांक 12.3.2012 को इस्पारतऔर इस्पा तउत्पाद(गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश अधिसूचित किया है जिसे अन्तिम बार दिनांक 4.12.2014 को संशोधित किया गया है।

(ii) दिनांक 5.6.2015 से चीन, मलेशिया और दक्षिण कोरिया से हॉट रोल्डु चपटे स्टेंनलैसस्टी5लके आयात पर एंटी-डम्पिंगशुल्क.लगाया गया है।

(iii) दिनांक 16.6.2015 की अधिसूचना संख्या39 के द्वारा इस्पात की विभिन्ने श्रेणियों पर बेसिक सीमा शुल्कीमें वृद्धि की गई है।

(iv) दिनांक 30.3.2015 को कोल माइन्सत(स्पेकशलप्रोविजनस) एमेंडमेंट एक्ट, 2015 अधिसूचित किया गया है।

(v) दिनांक 27.3.2015 को माइन्सतएंड मिनरल्सह(डेवलपमेंट एंड रेगूलेशन्सक्एमेंडमेंट) एक्ट, 2015 अधिसूचित किया गया है।

(vi) दिनांक 30.12.2011 से लौह अयस्कं के सभी प्रकारों पर यथा मूल्यु 30 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्किऔर दिनांक 27.1.2014 से लौह अयस्कपैलेटों पर यथामूल्यप 5 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्करलगाया गया है। इसके अतिरिक्त,दिनांक 30.4.2015 से 58 प्रतिशत से अधिक लौहांश वाले लौह अयस्कपर 10 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्कालगाया गया है।

*****

अनुलग्नतक

लोक सभा तारांकित प्रश्नर संख्याक 198 दिनांक 03.08.2015

कुल फिनिश्ड स्टीरल का आयात(1000 टन)				
देश	2012-13	2013-14	2014-15	**अप्रैल-जून** 2015-16*
अर्जेंटिना	2.1	0.5	0.82	0
आस्ट्रेलिया	8.4	5.1	8.28	1.09
बहरिन	7.0	0.8	0.22	0.02
बांग्लादेश	0.0	0.0	0	0
बेल्जियम	168.2	94.8	126.13	30.9
ब्राजील	144.3	70.0	128.87	1.26
कनाडा	34.7	18.1	7.31	0.87
चिली	0.1	0.1	0.02	0
चीन	1688.2	1088.4	3600.42	723.16
डेनमार्क	3.5	1.0	4.78	1.02
दिजिबुति	0.1	0.0	0	0.62
मिश्र	0.0	0.0	0	0
फिनलैण्ड	12.4	13.8	11.8	3.8
फ्रांस	126.7	36.5	155.84	24.86
जर्मनी	569.5	186.0	149.03	89.07
घाना	0.0	0.0	0	0
हॉगकांग	3.2	0.4	1.5	0.23
इंडोनेशिया	5.5	2.3	14.41	83.8
ईरान	129.2	100.7	0	0
इटली	83.1	25.2	54.95	8.29
जापान	1545.0	1355.7	1583.31	584.98
जॉर्डन	0.0	0.0	0	0
काजिस्ता न	14.1	8.1	8.93	0
कोरिया	1576.7	1312.6	1874.93	602.56
कुवैत	0.3	0.1	1.79	0
लिबनान	0.0	0.0	0	0
मकदूनिया	0.0	0.0	0	0
मलेशिया	45.3	29.9	95.99	17.7

नीदरलैंड	25.7	21.6	40.21	7.49
रूमानिया	10.4	26.2	11.14	0.5
रूस	326.6	145.9	226.02	56.72
सउदी अरब	41.0	47.8	4.19	0.26
दक्षिण अफ्रीका	57.9	44.1	71.47	13.94
स्पे4न	73.5	21.1	29.67	5.77
श्रीलंका	0.3	0.2	0.12	0.01
ताईवान	200.1	118.8	190.33	44.84
थाईलैंड	18.3	21.9	15.93	14.15
तुर्की	36.3	14.1	29.09	0.43
यू.के.	63.3	28.0	30.26	9.2
यू.ए.ई	41.1	19.6	34.14	11.55
यूक्रेन	419.7	323.0	348.77	95.34
यूएसए	116.8	79.3	120.12	17.46
अन्य6	326.4	188.7	339.24	118.3
कुल	7925	5450	9320	2570

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम

प्रवृति : वर्ष 2013-14 **के दौरान आयातों में** 31% **की गिरावट हुई है और पूर्व वित्तीपय वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान लगभग 71% की वृद्धि हुई है।**

“इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा” के बारे में श्री प्रहलाद सिंह पटेल और श्री ई. टी. मोहम्म्द बशीर , संसद सदस्यों द्वारा लोक सभा में दिनांक 3 अगस्ति, 2015 (पोजिशन संख्याद 16) के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *198 के संबंध में अनुपूरक सामग्री (Note for Supplimentaries)

<u>प्रश्न् का मुख्य जोर</u>

प्रश्न् का मुख्य जोर इस बात को जानने पर दिया गया है कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में आयात किए गए इस्पात और आयात की मात्रा के रुझान का देश-वार ब्यौरा क्या है; क्या उक्त अवधि के दौरान घरेलू इस्पात उत्पादन में गिरावट का रुझान दिखायी दिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; क्या चीन सहित विभिन्न देशों से सस्ते इस्पात के आयात ने घरेलू इस्पात उद्योग को बुरी तरह से प्रभावित किया है; यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस्पात के आयात पर आयात शुल्क में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और सरकार द्वारा इस्पात उद्योग का संरक्षण करने/को बढ़ावा देने और स्वदेशी इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पादतएक नियंत्रणमुक्तक्षेत्र होने के नाते सरकार की भूमिका देश में इस्पाातक्षेत्र के विकास के लिए एक सुविधादाता के रूप में होती है। इसलिए, इस्पाूतकी विभिन्नश्रेणियों के आयात के निर्णय संबंधित व्यक्तिगतइस्पाेतनिर्माताओं अथवा अन्यइहितधारकों द्वारा लिए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में केवल गुणवत्ताअपरक इस्प्ात के आयात की ही अनुमति हो और साथ ही घरेलू इस्पाेतउद्योग में कच्चेनमाल की पर्याप्त आपूर्ति हो, सरकार ने निम्नयलिखितउपाए किए हैं:

(i) दिनांक 12.3.2012 को इस्पािऔर इस्पारतउत्पाथद(गुणवत्ताम नियंत्रण) आदेश अधिसूचित किया है जिसे अन्तिम बार दिनांक 4.12.2014 को संशोधित किया गया है।

(ii) दिनांक 5.6.2015 से चीन, मलेशिया और दक्षिण कोरिया से हॉट रोल्डा चपटे स्टेंानलैसस्टी5लके आयात पर एंटी-डम्पिंेगशुल्के लगाया है।

(iii) दिनांक 16.6.2015 की अधिसूचना संख्यान39 के द्वारा इस्पात की विभिन्ना श्रेणियों पर बेसिक सीमा शुल्के में वृद्धि की है।

(iv) दिनांक 30.3.2015 को कोल माइन्सत(स्पेकशलप्रोविजनस) एमेंडमेंट एक्ट, 2015 अधिसूचित किया है।

(v) दिनांक 27.3.2015 को माइन्सएण्ड मिनरल्सी(डेवलपमेंट एंड रेगूलेशन्साएमेंडमेंट) एक्टय 2015 अधिसूचित किया है।

(vi) दिनांक 30.12.2011 से लौह अयस्कं के सभी प्रकारों पर यथा मूल्यै 30 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्किऔर दिनांक 27.1.2014 से लौह अयस्करपैलेटों पर यथामूल्यत 5 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्करलगाया है। इसके अतिरिक्ता, दिनांक 30.4.2015 से 58 प्रतिशत से अधिक लौहांश वाले लौह अयस्करपर 10 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्कालगाया गया है।

भारत में इस्पात उद्योग

भारत में इस्पात उद्योग आज जीडीपी में लगभग 2 प्रतिशत और औद्योगिक क्षेत्र के शुद्ध मूल्ये वृद्धि में 4.52 प्रतिशत का योगदान करता है तथा साथ ही प्रत्य क्षरूप से 6 लाख से अधिक लोगों और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

वर्ष 2014-15 में भारत में क्रूड स्टी ल का उत्पादन 88 मिलियन टन था और जनवरी से मार्च, 2015 की अवधि के दौरान भारत अमेरिका से आगे बढ़कर विश्वो में इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। तथापि, भले ही हमने विश्वस्त में तीसरे सबसे बड़े उत्पादक का दर्जा प्राप्त कर लिया है फिर भी, हमारी इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत बहुत कम है जोकि विश्वस्त स्तर प्रति व्यक्ति औसतन 220 किलोग्राम की तुलना में प्रति व्यक्ति 59 किलोग्राम है। इस बात पर विचार करते हुए कि नजदीक भविष्य में अर्थव्यूवस्थाओं में तीव्र वृद्धि होगी, अवसंरचना क्षेत्र में प्रस्तावित निवेश के साथ साथ निर्माण और मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर जोर देने के अतिरिक्त हमने अगले दशक तक इस्पात निर्माण की अपनी क्षमता को 300 मिलियन टन करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाया है।

घरेलू इस्पा0त उद्योग की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

भारत जैसी नियंत्रणमुक्तक , उदार अर्थव्यएवस्थाल/बाजार परिदृश्यथ में सरकार की भूमिका एक सुविधादाता की होती है , जो इस्पा त क्षेत्र की दक्षता और निष्पा1दन में सुधार के लिए अनुकूल पर्यावरण सृजित करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार करती है और संस्थाूनिक मैकेनिज्म /अवसंरचना का सृजन करती है। इस भूमिका में सरकार ने राष्ट्री□य इस्पाजत नीति2005 जारी की है , जिसमें भारतीय इस्पा त उद्योग के लिए दीर्घकालिक विकास का एक विस्तृपत रोडमैप तैयार किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस्पाित संबंधी कार्यकारी समूह की रिपोर्ट में इस्पांत उद्योग के विकास को प्रोत्साेहित करने का विजन भी रखा गया है।

2. खुली और बाजार संचालित अर्थव्यैवस्थाी में एक सुविधादाता के रूप में सरकार उद्योग को प्रभावित करने वाली गतिविधियों की निगरानी करती है और अपने मूल्यांककन के आधार पर आवश्यकक नीतिगत उपाय करती है। आमतौर पर देश में डम्पिंग जैसी संभावित कुप्रथा के मामले में आयातों के प्र वाह की निगरानी की जाती है, जो घरेलू उद्योग को हानि पहुंचा सकते हैं। हाल ही में सरकार ने कुछ विशिष्टू उपाय किए हैं, जो निम्नयवत हैं:

- इसने चीन , मलेशिया और दक्षिण कोरिया से हॉड रोल्डै फ्लैट स्टैइशनलेस स्टीमल के आयातों पर एंटी डम्पिंशुल्कै लगाया है;
- इसने इस्पाशत की विभिन्नल श्रेणियों पर से बेसिक आयात शुल्कट को 2.5 प्रतिशत बढ़ाया है।
- इसने निदेश दिया है कि चीन के इस्पा त उत्पारदों की देश में प्रवेश की अनुमति से पहले इनका कठोर गुणवत्तात निरीक्षण किया जाना चाहिए।

3. वर्तमान नियंत्रणमुक्त बाजार व्यरवस्थाण में इस्पाात का आयात पूर्ण रूप से बाजार संचालित होता है और ये आयात विशिष्ट् इस्पाइत उत्पाादों की घरेलू अनुपलब्धवता अथवा सीमित उपलब्धरता के कारण और आंशिक रूप से कीमत को ध्यालन में रखकरकिए जाते हैं।

4. सरकार ने घरेलू हितों की सुरक्षा के लिए चीन , कोरिया और मलेशिया से स्टै.नलेस स्टीहल के हॉट रोल्ड्यपटे उत्पाशदों की कुछ निश्चित किस्मों□ के आयात पर पांच वर्षों के लिए एंटी डम्पिंग शुल्कट लगाया है। डायरेक्टोोरेट जनरल ऑफ एंटी डम्पिंग ड्यूटि की सिफारिशों पर चीन से आयातों पर 309 अमरिकी डॉलर प्रति टन का शुल्कड लगाया गया है जबकि मलेशिया से आयात पर 316 अमरिकी डॉलर प्रति टन तथा कोरिया से आयात पर 180 अमरिकी डॉलर प्रति टन शुल्कर लगाया है।

5. खुली और बाजार संचालित अर्थव्यलवस्थाा में एक सुविधादाता के रूप में सरकार उद्योग को प्रभावित करने वाली गतिविधियों की निगरानी करती है और अपने मूल्यां□कन के आधार पर आवश्यीक नीतिगत उपाय करती है। इस भूमिका में , इसने निदेश दिया है कि चीन के इस्पावत उत्पातदों की देश में प्रवेश की अनुमति से पहले कठोर गुणवत्ता निरीक्षण किया जाना चाहिए। विशेष रूप से रिबार्स के मामले में, जहां यह संदेह था कि कम आयात शुल्क का लाभ उठाने के लिए भारतीय बाजारों में बोरोन युक्त् एलाय स्टी ल का आयात किया जा रहा था । सीबीईसी ने इस्पावत उत्पाोद गुणवत्तात नियंत्रण2012 के अनुरूप सख्तीी से री-बार्स के आयात की अनुमति हेतु नवम्बयर, 2014 में एक आदेश जारी किया था , और इस प्रकार भारत में बोरोन युक्तन री-बार्स के सस्तें आयातों के अंतर्प्रवाह को अवरूद्ध करने का प्रयास किया गया।

6. नियंत्रणमुक्त् बाजार परिदृश्यत में सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होती है। इस भूमिका में सरकार ने राष्ट्री□य इस्पा त नीति (एनएसपी) 2005 जारी की थी, जिसमें आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर भारतीय इस्पाभत उद्योग के विकास को प्रोत्साीहित करने हेतु एक विस्तृनत रोडमैप प्रस्तुात किया गया। इस्पा त की आपूर्ति/उत्पा दन पक्ष पर राष्ट्रीडय इस्पा त नीति2005 इंगित करती है कि अतिरिक्तू क्षमता के सृजन, आधार सामग्री की उपलब्धपता में प्रक्रियागत और नीतिगत अड़चनों को दूर करने, आरएंडडी में उच्च तर निवेश करने और सड़क रेलवे और बंदरगाहों जैसी अवसंरचना के सृजन को प्रोत्साडहित करने की रणनीति हो।

7. 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस्पाेत संबंधी कार्य कारी समूह की रिपोर्ट ने संकेत किया है कि इस्पाचत उद्योग के विकास में सरकार की भूमिका एक महत्वकपूर्ण सुविधादाता की है। जबकि इस्पापत निर्माण प्रक्रिया में सरकार की प्रत्याक्ष भूमिका की और अधिक आवश्य कता नहीं है, लेकिन भारत को इस्पारत का विश्वी स्तीर पर एक उत्पाादक राष्ट्र□ बनाने के राष्ट्री□य इस्पातत नीति2005 के उद्देश्य5 की प्राप्ति के लिए राज्यि को उद्योग के लिए आवश्येक नीतिगत सहयोग प्रदान करना पड़ेगा। कुछ मुख्यी क्षेत्र जहां सरकार का सहयोग अपेक्षित हैं, वे इस प्रकार हैं – आवश्युक अवसंरचनागत सुविधा प्रदान करना , महत्व पूर्ण आदान सामग्रियों की आसान उपलब्धाता सुनिश्चित करना, जनशक्ति विकास के लिए प्रशिक्षण सुविधा का प्रावधान करना तथा सभी हितधारकों द्वारा निर्णय लेने के लिए एक एकीकृत और विश्वकसनीय डाटाबेस तैयार करना।

8. 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस्पारत संबंधी कार्यकारी समूह की रिपोर्ट में निम्न लिखित मदों के प्रतिस्थासपन के आयात पर जोर दिया गया है:

- ऑटो सेक्टर के लिए सीआर शीट/क्वाआयल
- सीआरजीओ और सीआरएनओ के उच्च ग्रेड
- ओवर डाइमेंशनल प्लेट, क्वींच्ड एंड टैम्पीर्ड प्लेट, विशेष ग्रेड के बायलर क्वालिटी प्लेट इत्यादि
- ओरगेनिक कोटिड, विनायल कोटिड शीट
- प्राइम क्वालिटी टिन प्लेट (ओटीएससी ग्रेड)
- एपीआई ग्रेड के अधिक डायामीटर वाले पाइप इत्यादि

9. घरेलू इस्पात उद्योग को बढ़ते आयातों से बचाने के प्रयास के रूप में सरकार ने हाल ही में इस्पात के सभी प्रकारों पर लगने वाले शुल्क में वृद्धि की है। इस प्रकार इनगॉट एवं बिलेट, अलॉय स्टील (चपटे एवं लम्बे), स्टेनलैस स्टील (लम्बे) और नान-अलॉय लम्बे उत्पादों पर आयात शुल्क पूर्व में 5 प्रतिशत की तुलना में बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया गया है तथा नान अलाय और अन्य अलॉय चपटे उत्पादों में आयात शुल्क पूर्व में 7.5 प्रतिशत की तुलना में 10 प्रतिशत किया गया है। तथापि, यह बढ़ा हुआ शुल्क कोरिया और जापान जैसे देशों के लिए लागू नहीं होगा क्योंकि कोरिया ने 1.25 प्रतिशत की दर के लिए और जापान ने 0.835 प्रतिशत की दर के लिए भारत के साथ विदेश व्यापार करार हस्ताक्षरित किया है।

भारत में अलॉय और नॉन-अलॉय फिनिश्ड इस्पापत के उत्पावदन और बिक्री का परिदृश्यं

1. पिछले पांच वर्षों और अप्रैल-जून 2015-16 के दौरान भारत द्वारा अलॉय और नॉन अलॉय दोनों फिनिश्डष इस्पायत की बिक्री हेतु उत्पा1दन संबंधी आंकडें निम्नरवत हैं:-

	बिक्री के लिए कुल फिनिश्ड स्टीिल का उत्पात(एमटी)			
वर्ष	नान-अलॉय	अलॉय	कुल	% बदलाव
2010-11	64.25	4.37	68.62	13.2
2011-12	70.70	4.99	75.69	10.3
2012-13	76.20	5.48	81.68	7.9
2013-14	80.04	7.64	87.68	7.3
2014-15	81.95	9.51	91.46	4.3
अप्रैल-जून 2015-16*	21.21	2.51	23.72	2.9
स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम.				

2. पिछले तीन वर्षों और अप्रैल-जून 2015-16 के दौरान बिक्री हेतु कुल फिनिश्डह स्टीतल (अलॉयनॉन-अलॉय) के घरेलू उत्पा दन संबंधी आंकड़े निम्नावत हैं और ये पूरी अवधि में स्थाीयी बढ़ोतरी को दर्शाते हैं :-

बिक्री के लिए कुल फिनिश्डब स्टी्ल(अलॉय+नान-अलॉय) का उत्पाकदन		
वर्ष	मात्रा (मिलियन टन या एमटी)	% बदलाव
2012-13	81.68	7.9
2013-14	87.67	7.3
2014-15	91.46	4.3
अप्रैल-जून 2015-16*	23.72	2.9
अप्रैल-जून 2014-15	23.06	-
स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम		

स्टै:नलेस/ अलॉय और नॉन अलॉय फिनिश्ड इस्पात के आयात का विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत द्वारा स्टै नलेस /अलॉय और नॉन अलॉय दोनो फिनिश्डर इस्पाभत के आयात संबंधी आंकडें निम्नॉवत हैं :-

वर्ष	कुल फिनिश्डड स्टीॉ(अलॉय+ नॉन -अलॉय) का आयात (एमटी)			
	नॉन अलॉय	स्टैअनलेस/अलॉय	योग	% बदलाव
2010-11	5.83	0.84	6.66	-9.7
2011-12	5.44	1.43	6.86	3.0
2012-13	6.25	1.67	7.93	15.5
2013-14	4.30	1.15	5.45	-31.2
2014-15	6.75	2.57	9.32	71.0
अप्रैल-जून 2015-16*	2.01	0.56	2.57	54.6
स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम .				

पिछले तीन वर्षों 2012-13, 2013-14, 2014-15 और अप्रैल-जून 2015-16 में भारत द्वारा कुल फिनिश्ड स्टी2ल(अलॉय+नॉन अलॉय) के आयात संबंधी आंकड़े निम्नेवत हैं और ये वर्ष 2013-14 जब आयात में वर्ष 2012-13 की तुलना में गिरावट हुई को छोड़कर एक स्था यी बढ़ोतरी दर्शाते हैं :-

कुल फिनिश्डा स्टी ल(अलॉय+नॉन-अलॉय) का आयात		
वर्ष	मात्रा (मिलियन टन अथवा एमटी)	% बदलाव
2012-13	7.93	15.5
2013-14	5.45	-31.2
2014-15	9.32	71.0
अप्रैल-जून 2015-16*	2.57	54.6
अप्रैल-जून 2014-15	1.66	-
स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम		

पिछले तीन वर्षों और अप्रैल-जून 2015-16 के दौरान कुल फिनिश्डक स्टीपल (अलॉय+नॉन-अलॉय) के आयात के मूल्यॉ संबंधी आंकड़े निम्नावत हैं :-

कुल फिनिश्डर स्टी1ल(अलॉय+नान-अलॉय) का आयात – मूल्यु (करोड़ रूपये)	
वर्ष	मूल्यि
2012-13	39290
2013-14	30416
2014-15	44893
अप्रैल-जून 2015-16*	11115
स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम	

फिनिश्डर स्टी1ल के आयात का विवरण

भारत वर्ष 2013-14 को छोड़कर वर्ष 2007-08 से प्रतिवर्ष कुल फिनिश्डम स्टीॉल का निवल आयातक रहा है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	कुल फिनिश्डर स्टीस(एमटी)		
	आयात	निर्यात	निवल आयात
2007-08	7.03	5.05	1.98
2008-09	5.84	4.44	1.40
2009-10	7.38	3.25	4.13
2010-11	6.66	3.64	3.02
2011-12	6.86	4.59	2.27
2012-13	7.93	5.37	2.56
2013-14	5.45	5.98	-0.53
2014-15	9.32	5.59	3.73
अप्रैल-जून 2015-16*	2.57	0.99	1.58
स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम .			

पिछले तीन वर्षों और अप्रैल-जून , 2015-16 के दौरान भारत द्वारा चीन , मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान , विश्वम के शेष देशों से कुल फिनिश्डा स्टील के समग्र आयात के साथ-साथ समग्र सामग्री के आयात की मात्रा संबंधी आंकड़े निम्नुवत हैं:-

.

कुल फिनिश्डय स्टी1ल का आयात(000 टन में)						
वर्ष	चीन से	मलेशिया से	दक्षिण कोरिया से	जापान से	शेष देशों से	सम्पू र्ण
2012-13	1688	45	1577	1545	3070	7925
2013-14	1088	30	1313	1356	1663	5450
2014-15	3600	96	1875	1583	2166	9320
अप्रैल-जून 2015-16*	723	18	603	585	641	2570
स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम						

कुल फिनिश्ड् स्टी*ल संबंधी समेकित आंकड़े

पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में कुल फिनिश्ड स्टी़ल का बिक्री हेतु उत्पानदन आयात, निर्यात, वास्तनविक खपत संबंधी आंकड़े निम्नीवत हैं :-

वर्ष	कुल फिनिश्डव स्टी ल(एमटी)			
	बिक्री हेतु उत्पाि दन	आयात	निर्यात	वास्ताविक खपत
2010-11	68.62	6.66	3.64	66.42
2011-12	75.69	6.86	4.59	71.02
2012-13	81.68	7.93	5.37	73.48
2013-14	87.67	5.45	5.98	74.09
2014-15	91.46	9.32	5.59	76.99
स्रोत: जेपीसी;				

अप्रैल-जून 2015-16 और अप्रैल-जून 2014-15 के दौरान कुल फिनिश्ड. स्टीलल का बिक्री हेतु उत्पा ूदन आयात, निर्यात, वास्तुविक खपत संबंधी आंकड़े निम्न.वत हैं :- .

अवधि	कुल फिनिश्ड स्टीदल(अलॉय+नान-अलॉय) (एमटी)			
	बिक्री हेतु उत्पा ीदन	आयात	निर्यात	वास्ताविक खपत
अप्रैल-जून 2015-16 *	23.717	2.57	0.991	20.076
अप्रैल-जून 2014-15	23.058	1.66	1.45	18.777
% बदलाव	2.9	54.6	-31.7	6.9
स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम				

भारत में क्रूड स्टील

पिछले पांच वर्षों और अप्रैल-जून 2015-16 के दौरान भारत द्वारा क्रूड स्टी ल के उत्पांदन संबंधी आंकडे निम्नतवत हैं :-

वर्ष	क्रूड स्टी ल का उत्पाआदन	
	मात्रा (एमटी)	% बदलाव
2010-11	70.67	7.3
2011-12	74.29	5.1
2012-13	78.42	5.6
2013-14	81.69	4.2
2014-15	88.98	8.9
अप्रैल-जून 2015-16*	22.45	0.6
स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम		

पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत में क्रूड स्टी*ल की समग्र क्षमता , उत्पाादन और क्षमता उपयोग संबंधी आंकड़े निम्नमवत हैं :-

वर्ष	भारत : क्रूड स्टी्ल (मिलियन टन या एमटी)		
	क्षमता	**उत्पाादन**	**क्षमता उपयोग (%)**
2010-11	80.36	70.67	88
2011-12	90.87	74.29	82
2012-13	97.02	78.42	81
2013-14	101.02	81.69	81
2014-15	109.85	88.98	81
स्रोत: जेपीसी;			

जेपीसी द्वारा जारी अनंतिम आंकड़े दर्शाते हैं कि अप्रैल-जून 2015-16 के दौरान क्रूड स्टीरल का घरेलू उत्पाैदन 22.45 मिलियन टन था तथा पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इसमें 0.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

अवधि	क्रूड स्टीाल का उत्पा द(एमटी)
अप्रैल-जून 2015-16 *	22.45
अप्रैल-जून 2014-15	22.32
% बदलाव*	0.6
स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम	